(b) It is correct that the contractor has stopped the work. Action in terms of the conditions of the condi' tions of the contract and re-award the work at his risk and cost is in progress.

(c) The work was started on 15.6.93. The contractor had abandoned the work after completing only 20 per cent of its portion. The balance work will require about 4 months for completion after its award again.

(d) The construction material brought to the site by the contractor for carrying out the work in D-I Block did not conform to the specifications and was rejected. The con' tractor was directed to remove the material and when he failed to do so, the material was shifted to roads and foot-paths and is now in the process of being removed from the footpaths at the risk and cost of the contractor.

DDA flats constructed under the Dr. Ambedkar scheme

2241. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in rajouri garden, Delhi (Raghubir Nagar) many people have got the DDA flats constructed under the Ambedkar Scheme, by producing false SC/ST certificates and sold them off subsequently without informing the DDA in the year 1990-91;

(b) if so, what are the names of such persons and the addresses of the flats allotted to them: and

(c) what action has been taken/ proposed to be taken against them for producing false documents for the allotment of flats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The DDA has re' ported that no such case has come to the notice of Housing Department, of the DDA. It is pertinent to point-out that the first allotment under the Ambedkar Awas Yojna was made on 23.12.92.

(b) and (c) In view of 'a' above, question does not arise.

स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में स्थापित किसान घाट के विस्तार कार्य की प्रगति

2242. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के दाहसंस्कार स्थल "किसान घाट" के विस्तार की योजना का कार्यान्वयन किस चरण पर है तथा अब तक पूरे किए गए तथा लम्बित कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथ इसे पूरा करने में अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) समाधि निर्माण का प्रथम चरण, जिसमें समाधि का निर्माण और समाधि के चारों ओर भराई का कार्य शामिल है, दिसम्बर 90 में पूरा हो गया था । द्वितीय चरण का प्रथम भाग जिसमें पहुंच मार्गों के निर्माण और पत्थर के कार्य सहित समाधि के चारों ओर भू-दृश्य का कार्य शामिल है, मई, 1992 में पूरा हो गया था । द्वितीय चरण का द्वितीय भाग, जिसमें चौपाल, शौचालय ब्लाक, पुस्तक स्टाल, पार्किंग और प्रवेश द्वारों आदि शामिल हैं, भी दिसम्बर,

1992 में पूरा हो गया है । परिसर के विकास कार्यों में शामिल हौज (पम्प) को भरने का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है और विद्यमान हौज (पम्प) के क्षेत्र में शामिल विकास कार्य भी पूर्ण हो गया है। राजघाट और इसके आस-पास के क्षेत्र से पानी की निकासी के लिये एक अतिरिक्त हौज (पम्प) बनाने हेतु नया कुआं बनाने तथा पम्प हाऊस का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। सिविल तथा बिजली के सभी कार्य मियाद में ही पूरे कर दिए गये हैं । तथापि, बागवानी कार्य आंशिक रूप से पूरा हो गया है और आगे प्रगति पर है तथा इसके पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा ।

(ग) अब तक 1,07,24,447/- रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा पूरा करने के लिए अनुमानित 20 लाख रुपये (लगभग) की राशि की और जरूरत है ।

डा० अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखंडों/दुकानों का आबंटन

2243. **श्रीमती सत्या बहिन :** शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था और इस योजना के अन्तर्गत अब तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आबंटन हेतु अब तक कितने आवास तैयार हो गये हैं तथा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक आवासीय मकान आबंटित कर दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक आवास आबंटित कर दिये जाने की सम्भावना है और

(ङ) क्या "डा० अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों को व्यावसायिक भूखंड और दुकान आबंटित करने की कोई योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत 20,000 लोगों को पंजीकृत किया गया था। श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

एम०आई०जी०	7,000
एल०आई०जी०	10,000
जनता . .	3,000

(ख) विशेष रूप से अम्बेडकर योजना के तहत आबंटन हेतु पृथक फ्लैटों का निर्माण नहीं किया जाता। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रत्येक आय समूह योजना अर्थात् अम्बेडकर आवास योजना तथा न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना, 1979 में 25% फ्लैट आरक्षित होते हैं । आबंटन ड्रा के आधार पर किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं । अब तक उपर्युक्त योजना के तहत 615 एल आई जी और 867 जनता फ्लैट आबंटित कर दिये गये हैं। भूमि तथा जलपूर्ति जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के मिलने पर और अधिक फ्लैटों का निर्माण/आबंटन नहीं किया जा सका ।

(घ) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक फ्लैट आबंटित किये जाने की संभावना है